न्यायालय:- जिला न्यायाधीश, धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी: संजीव मागो, RJS(DJ Cadre)

मूल वाद पत्र संख्या 05/2013

CIS No. **277/14**

CNR No. RJDH010000272013

नीतू यादव पुत्री श्री किरोडीलाल यादव, निवासी मौहल्ला गडरपुरा, दमापुर तहसील व जिला धौलपुर (राज०)

- वादिया

बनाम

1. लक्ष्मनसिंह पुत्र श्री दयालसिंह निवासी सिविल लाईन गडरपुरा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर (राज०) (फौत दौराने दावा)

1/1 माधुरी देवी पत्नी स्व० लक्ष्मन सिंह

1/2 नरेश सिंह पुत्र स्व० लक्ष्मन सिंह

1/3 अजय सिंह पुत्र स्व० लक्ष्मन सिंह

1/4 नीलम पुत्री स्व० लक्ष्मन सिंह

1/5 गायत्री पुत्री स्व० लक्ष्मन सिंह

निवासीगण सिविल लाईन गडरपुरा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर (राज०)

2. टीकम सिंह पुत्र श्री दयालसिंह, निवासी सिविल लाईन गडरपुरा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर (राज०)

-प्रतिवादीगण

समेकित वाद

मूल वाद पत्र संख्या **43/2013**

CIS No. **281/14**

CNR No. RJDH010000292013

टीकम सिंह पुत्र श्री दयालसिंह, निवासी सिविल लाईन गडरपुरा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर (राज०)

-वादी

- बनाम -

1. लक्ष्मनसिंह पुत्र श्री दयालसिंह निवासी सिविल लाईन गडरपुरा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर (राज०) (फौत दौराने दावा)

1/1 माधुरी देवी पत्नी स्व० लक्ष्मन सिंह
1/2 नरेश सिंह पुत्र स्व० लक्ष्मन सिंह
1/3 अजय सिंह पुत्र स्व० लक्ष्मन सिंह
1/4 नीलम पुत्री स्व० लक्ष्मन सिंह
1/5 गायत्री पुत्री स्व० लक्ष्मन सिंह
निवासीगण सिविल लाईन गडरपुरा धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर (राज०)
2. नीतू यादव पुत्री श्री किरोरीलाल निवासी दमापुर तहसील व जिला धौलपुर (राज०)

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र वास्ते संविदा की यथावत पालना व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः-

01. विद्वान अधिवक्ता श्री किशन सिंह त्यागी वादी नीतू यादव की ओर से।

02. विद्वान अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह राणा वादी टीकम सिंह की ओर से।

03. विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार दिवाकर, प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/5 की ओर से।

- निर्णय - **दिनांक 06/08/2026**

1. वादीया नीतू यादव की ओर से एक वाद पत्र प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह के विरुद्ध इस आशय का पेश किया गया कि प्रतिवादी लक्ष्मन सिंह आराजी खसरा नंबर 31 रकवा 1 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा संख्या 35 रकवा 9 विस्वा कुल किता 2 कुल रकवा 2 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम सीर दमापुर में प्रतिवादी अन्य सह खातेदारान जो उसके मां, भाई बहिन हैं के साथ 1/10 भाग का खातेदार काश्तकार है जिसे उक्त कृषि भूमि में अपने हिस्से को बेचने का पूर्ण अधिकार है प्रतिवादी को घरेलू खर्च हेतु रुपयों की आवश्यकता रही जिसके निमित्त उसने उक्त विवादित कृषि भूमि में अपने हिस्से को बेचने का निश्चय किया व अपने हिस्से की कृषि भूमि को एक लाख रुपये में बेचने का प्रस्ताव वादी से दिनांक 23/05/11 को करते हुए वादी द्वारा उक्त प्रस्ताव स्वीकार करने पर उक्त दिवस ही वादी से उक्त भूमि बेचने बावत संविदा की व अग्रिम धन के रुप में पांच हजार रुपये प्राप्त कर वादी के पक्ष में विधिवत इकरारनामा निष्पादित करते हुए उस पर अपने हस्ताक्षर कर वादी को सौंप दिया व कहा कि उक्त विवादित आराजी पर प्रतिवादी एवं प्रतिवादी की मां, भाई बहिन के नाम नामान्तरण की प्रक्रिया अधीन है नामान्तरण होने के बाद शेष विक्रय मूल्य 95 हजार रुपये लेकर वादी को सूचना देकर प्रतिवादी 6 माह के अंदर विक्रय पत्र वादी के खर्चे पर वादी के हक में पंजीयन करा देगा तब से वादी निरंतर प्रतिवादी को शेष विक्रय मूल्य देकर अपने हक में अपने खर्चे पर बयनामा निष्पादित कराने हेतु सदैव सहमत, तत्पर व तैयार रही है किन्तु प्रतिवादी के मन में बेइमानी रही इस कारण उसने नामान्तरण हो जाने की वादी को न तो सूचना दी और न बयनामा कराने की पहल की व वादी द्वारा विभिन्न दिनांकों को बयनामा की कहने पर बार-बार टालमटोल की दिनांक 12/12/12 के बाद वादी को पता चला कि प्रतिवादी विवादित भूमि में अपने हिस्से का विक्रय अन्यत्र करने जा रहा है जिस पर वादिया ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उसे संविदा की पालना कराने हेतु नोटिस दिया जिसका गलत तथ्यों पर जबाव प्रतिवादी के अधिवक्ता ने पेश

करते हुए संविदा की पालना करने से इंकार किया व वादिया ने संविदा की पालना करने से स्पष्ट इंकार कर दिया है वादिया को अंदेशा है कि प्रतिवादी लक्ष्मन सिंह अपने हिस्से की उक्त आराजी को अन्यत्र बेचान कर देगा अतः ऐसी स्थिति में वादिया न्यायालय के माध्यम से संविदा की पालना कराने की अधिकारी है व प्रतिवादी लक्ष्मन को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की अधिकारी है ।

2. इसी प्रकार वादी टीकम सिंह द्वारा एक वाद पत्र प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी ख० न० 219 रकवा 12 विस्वा वाके ग्राम दमापुर व आराजी खसरा नं० 31 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा ख०न० 35 रकवा 9 विस्वा कुल किता 2 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा वाकेग्राम सीर दमापुर तहसील व जिला धौलपुर में 1/10 भाग के वादी व अन्य सह खातेदारान के साथ खातेदार काश्तकार है । स्व० दयालसिंह ने अपने निधन के समय पन्ती, 07 सात पुत्र तथा दो पुत्रियों को छोडा, इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात में 1/10 भाग का खातेदार काश्तकार है और इसी हैसियत से मौके पर काबिज है और उपयोग व उपभोग कर रहा है । वाद पत्र की आगामी चरणों में उपरोक्त कृषि को विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया जाएगा । प्रतिवादी को विवादित आराजी में से अपने निहित हिस्से को विक्रय करने का पूर्ण रूप से विधिक अधिकार प्राप्त है । प्रतिवादी को घरेलू खर्च व अन्य पारिवारिक आवश्यकताओं हेतु धन की आवश्यकता हुई तो प्रतिवादी ने विवादित कृषि में से अपने हिस्से को विक्रय करने का निश्चय करते हुए अपने हिस्से 1/10 भाग को विक्रय करने की संविदा मुवलिग 1,20,000/- रुपये में वादी से दिनांक 11.05.2011 को की। प्रतिवादी ने संविदा दिनांक 11.05.2011 के अनुसरण में वादी से अग्रिम राशि के रुप में 20,000/-रुपए दिनांक 11.05.2011 को प्राप्त किए तथा विधिवत इकरारनामा तैयार करवाकर असल इकरारनामा वादी के हवाले कर दिया तथा शेष राशि 1,00,000/- रुपए वक्त बयनामा प्राप्त कर वादी के हक में वादी के खर्चे पर बयनामा निष्पादित कराने का वादा किया। वक्त इकरारनामा वादी व प्रतिवादी के मध्य यह तय हुआ कि विक्रय की शेष राशि 1,00,000/- रुपए वक्त

बयनामा वादी जब चाहे तब प्रतिवादी को अदा कर वादी अपने हक में अपने खर्चे पर अपनी इच्छानुसार उपरोक्त तयशुदा विवादित आराजी का बयनामा प्रतिवादी वादी के हक में वादी के खर्चे पर नहीं करेगा तो वादी को यह अधिकार होगा कि सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अपने हक में बयनामा पंजीबद्ध करा लेवे परंतु प्रतिवादी वादी को टालमटोल करता चला आ रहा है । वादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रतिवादी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी करवाया और प्रतिवादी को नोटिस यथासमय प्राप्त हो गया, परंतु प्रतिवादी ने नोटिस प्राप्ति के बावजूद कोई जवाब नहीं दिया । अगर प्रतिवादी द्वारा इकरारनामा दिनांक 11.05.2011 के अस्तित्व में रहते हुए विवादित आराजी का विक्रय अन्य व्यक्ति के हक में कर दिया तो वादी के अधिकार प्रभावित होंगे।

3. दौराने वाद प्रतिवादी सं० 1 का निधन हो गया, प्रतिवादी सं० 1 के निधन के पश्चात उसके उत्तराधिकारी 1/1 लगायत 1/5 ने समस्त तर्का प्राप्त किया है वादी जो अनुतोष प्रतिवादी सं० 1 से प्राप्त करने का अधिकारी था वही अनुतोष प्रतिवादी सं० 1/1 लगायत 1/5 से प्राप्त करने का अधिकारी है । अंत में वादी ने प्रार्थना की कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वह वादपत्र की चरण सं० 1 में अंकित विवादित आराजी ख० न० 219 रकवा 12 विस्वा वाकेग्राम दमापुर व आराजी खसरा नं० 31 रकवा 1 बीघा 15 विस्वा ख०न० 35 रकवा 9 विस्वा कुल किता 2 रकवा 2 बीघा 4 विस्वा वाकेग्राम सीर दमापुर तहसील व जिला धौलपुर में 1/10 भाग के वादी व अन्य सह खातेदारान के साथ खातेदार काश्तकार है । स्व० दयालसिंह ने अपने निधन के समय पन्ती, 07 सात पुत्र तथा दो पुत्रियों को छोडा, इस प्रकार उपरोक्त आराजीयात में 1/10 भाग की अधिकार खातेदारी को संविदा दिनांक 11.05.2011 की पालना में वादी के पक्ष में वादी के खर्चे पर शेष रकम 1,00,000/- रुपए प्राप्त कर बयनामा निष्पादित कर पंजीबद्ध करा देवे प्रतिवादी द्वारा ऐसा नहीं करने पर न्यायालय के माध्यम से बयनामा निष्पादित कर पंजीबद्ध कराया जावे तथ एकांतिक रुप से वादी को कब्जा प्रदान कराया जावे। प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह इकरारनामा

दिनांक 11.05.2011 के अस्तित्व में रहते हुए विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन, वय, मुन्तकिल अथवा किसी प्रकार का हस्तांतरण नहीं करे ।

4. वादिया नीतू यादव व वादी टीकम सिंह की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र में एक ही विवादित भूमि के संबंध में वाद पत्र लंबित होने से उन्हें न्यायालय के आदेश दिनांक 28/11/15 से समेकित किये जाने का आदेश दिया गया जिस पर दोनों पत्र समेकित रुप से लंबित हैं ।

5. नीतू यादव द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का प्रतिवादी लक्ष्मन की ओर से जबाव दावा पेश कर वाद पत्र के अभिवचनों को अस्वीकार किया व अभिवचन किया कि उनके द्वारा वादिया नीतू यादव के हक में कोई इकरारनामा नहीं किया जाना न ही कोई राशि प्राप्त करना एवं उनके द्वारा टीकम सिंह को उक्त भूमि बेचने के संबंध में टीकम सिंह के हक में इकरारनामा किया जाना व उससे 20 हजार रुपये प्राप्त करना बताते हुए वादिया नीतू यादव द्वारा बताया गया एग्रीमेन्ट वादिया नीतू यादव द्वारा प्रतिवादी लक्ष्मन सिंह को शराब के नशे के डुबाकर अनजाने में लक्ष्मन सिंह के हस्ताक्षर कराये जाना एवं इसके संबंध में पंचायत होना बताते हुए वादिया नीतू यादव का वाद पत्र खारिज किये जाने का अभिवचन किया है ।

6. वादिया नीतू यादव के वाद पत्र का टीकम सिंह की ओर से जबाव दावा पेश कर वादिया नीतू यादव के वाद पत्र में किये गये अभिवचनों को इंकार करते हुए अभिवचन किया कि वादिया नीतू यादव द्वारा बताया गया इकरारनामा साजिशी है प्रतिवादी लक्ष्मन सिंह ने टीकम सिंह के हक में विवादित आराजी बेचने का अनुबंध दिनांक 11/05/11 को ही कर दिया था इस कारण वादिया के हक में दिनांक 23/05/11 को उक्त भूमि के बेचान का एग्रीमेन्ट किये जाने का प्रश्न ही नहीं है व उक्त साजिशी विक्रय अनुबंध पत्र से नीतू यादव कोई अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है अतः नीतू यादव का वाद पत्र खारिज किये जाने का अभिवचन किया ।

7. वादी टीकम सिंह के वाद का नीतू यादव की ओर से जबाब वाद पत्र प्रस्तुत कर टीकम सिंह के वाद में वर्णित अभिवचनों से इंकार करते हुए

अभिवचन किया है कि नीतू यादव द्वारा लक्ष्मण सिंह के विरुद्ध प्रस्तुत वादपत्र में वर्णित संविदा पत्र दिनांक 23.05.2011 को समाप्त करने के उददेश्य से वादी टीकम सिंह एवं प्रतिवादी सं. 01 लक्ष्मण सिंह जो आपस में सगे भाई हैं, ने एवं कथित इकरारनामा दिनांक 11.05.2011 के गवाहान गोपाल पुत्र कन्हैया कोली एवं सुरेन्द्र कुमार पुत्र रामखिलाडी बघेला दोनों निवासीगण सिविल लाइन गडरपुरा धौलपुर एवं एक अन्य गवाह जिसके हस्ताक्षर अपठित है एवं स्टाम्प विक्रेता तथा लक्ष्मीनारायण बघेला वकील से साज करके पुरानी दिनांक में स्टाम्प क्रय करके वाद सं. 05/13 के लम्बित रहते हुए कथित संविदा पत्र दिनांक 11.05.2011 स्वयं को अनुचित रुप से लाभान्वित करने की नीयत से कूट रचना कर फर्जी तैयार किया है ताकि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 वाद सं. 05/13 को विफल कर सकें। प्रतिवादी सं. 1 ने दिनांक 11.05.2011 अथवा अन्य किसी दिवस वादी के हक में 1,20,000/- रु. अथवा अन्य किसी राशि के बदले कथित इकरारनामा जो कि उत्तरदाता को स्वीकार नहीं है अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण बघेला से तैयार नहीं करवाया न अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण बघेला ने प्रतिवादी सं. 1 को पढकर न सुनाया व न समझााया कथित इकरारनामा वादी सं. 05/13 के लम्बित होते हुए उसमें प्रतिवादी सं. 1 द्वारा हाजिर होने के पश्चात् कथित इकरारनमा के गवााहों अधिवक्ता लक्ष्मीनारायण बघेला एवं नोटरी पब्लिक व स्टाम्प विक्रेता तथा वादी से साज करके कूट रचना कर फर्जी तैयार किये जाने का अभिवचन करते हुए वादी टीकम सिंह का वाद पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है ।

8. उक्त वाद पत्रों का प्रतिवादी लक्ष्मन सिंह के वारिसान प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/5 की ओर से जबाव वाद पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र के अधिकांश अभिवचनों को अस्वीकार किया गया व अभिवचन किया कि जब स्व० श्री लक्ष्मण सिंह का विवादित आराजी में हिस्सा 1/10 निहित ही नहीं था तो स्व० श्री लक्ष्मण सिंह अपने हिस्सा 1/60 भाग से अधिक भाग का यानी प्रतिवादी सं० 1/1 लगायत 1/5 के निहित हिस्सा 5/60 भाग का वादी के पक्ष में विक्रय करने का कोई हक व अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता था और स्व० श्री लक्ष्मण

सिंह को प्रतिवादी सं० 1/1 लगायत 1/5 के हिस्सा 5/60 भाग की आराजी का वादी के पक्ष में विक्रय करने का विधिक अधिकार कैसे हो सकता है । प्रतिवादी सं० 1 का विवादित आराजी में हिस्सा 1/10 भाग निहित नहीं है, बल्कि मृतक प्रतिवादी सं० 1 का विवादित आराजी में बहिस्सा 1/60 भाग है और प्रतिवादी सं० 1/1 लगायत 1/5 को विरासतन बहिस्सा 5/60 भाग विरासतन प्राप्त हुआ है, इसलिए यदि वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 नीतू यादव अपने अपने दावे को अपनी मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अपने वादपत्र को साबित करने में कामयाब हो जाते है तो वह विवादित आराजी में केवल मात्र स्व० श्री लक्ष्मन सिंह के हिस्सा 1/60 भाग ही प्राप्त करने का अधिकारी है । वादी व प्रतिवादी सं० 2 नीतू यादव ने प्रतिवादी 1/1 लगायत 1/5 के हिस्सा 5/60 भाग को जाली फर्जी तरीके से हडपने के लिए अपने पक्ष में इकरारनामा गवाहाान से सांठ गांठ करके उक्त वादपत्र पेश किया है तथा प्रतिवादी सं० 1/1 लगायत 1/5 के पूर्वज स्व० श्री लक्ष्मन सिंह ने ना तो वादी एवं ना ही प्रतिवादी सं० 2 नीतू यादव के पक्ष में कोई इकरारनामा निष्पादित किया है । वादी ने उक्त वादपत्र प्रतिवादी 1/1 लगायत 1/5 को तंग परेशान करने के लिए प्रस्तुत किया है । जब मृतक प्रतिवादी सं० 1 लक्ष्मण सिंह ने प्रतिवादी सं० 1/1 लगायत 1/5 को विवादित आराजी में निहित हिस्सा 5/60 देने से इंकार कर दिया तब प्रतिवादी 1/1 लगायत 1/5 ने एक राजस्व वाद सं० 17/2013 उनवानी माधुरी व अन्य बनाम लक्ष्मण सिंह न्यायालय उपखण्डाधिकारी धौलपुर में प्रस्तुत किया । प्रतिवादी सं० 1/1 लगायत 1/5 के पूर्वज स्व० श्री लक्ष्मण सिंह नियमित शराब का आदी था, जिसके बाबत प्रतिवादी सं० 1/1 लगायत 1/5 ने अखबार धौलपुर गजट में इस सूचना को प्रकाशित कराया गया था और कथन किया था कि उसने प्रतिवादी सं० 2 नीतू यादव के पक्ष में दिनांक 23.05.2011 को या इससे पूर्व कोई एग्रीमेंट नहीं किया है और किसी ने स्व० लक्ष्मण सिंह से शराब पिलाकर नशे की हालत में कोई एग्रीमेंट करा लिया हो तो ऐसा एग्रीमेंट विधि विरुद्ध व शून्य है। विवादित आराजी प्रतिवादी सं० 1/1 लगायत 1/5 को अपने बाबा द्वारा संयुक्त परिवार की संपत्ति से अर्जित संपत्ति है, जिसमें प्रतिवादी सं० 1/1 लगायत

1/5 का हिस्सा 5/60 भाग पर जन्म से ही बाई बर्थ राइट हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 06 के तहत व-हिस्सा 1/60 1/60 निहित है, जिसे प्रतिवादी सं० 1/1 लगायत 1/5 का हिस्सा 5/60 भाग के निहित हिस्से को स्व० लक्ष्मण सिंह को वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 नीतू यादव के पक्ष में विक्रय करने या किसी प्रकार की कोई संविदा या इकरारनामा/अनुबंध पत्र करने को कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं था और यदि स्व० लक्ष्मण सिंह ने प्रतिवादी सं० 1/1 लगायत 1/5 का हिस्सा 5/60 तक हक व अधिकार की विवादित आराजी में निहित हिस्सा 5/60 भाग का विक्रय या कोई इकरारनामा/अनुबंध पत्र वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 नीतू यादव के पक्ष में तहरीर कर दिया हो तो वह प्रतिवादी सं० 1/1 लगायत 1/5 का हिस्सा 5/60 एवं हक व अधिकारों के मुकाबले एक शून्य व निष्प्रभावी अनुबंध पत्र है, जिससे वादी व प्रतिवादी सं० 2 नीतू यादव को कोई कानूनी हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं । अंत में प्रार्थना की कि जवाबदावा व विशेष कथन की रोशनी में वाद पत्र वादी एवं प्रतिवादी सं० 2 नीतू यादव के दीवानी वाद सं० 5/13 उनवानी नीतू यादव बनाम लक्ष्मण सिंह मय हर्जा खर्चे सहित खारिज किया जावे ।

9. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा वाद पत्र सं. 05/13 में दिनांक 24/02/14 को प्रकरण में निम्न विवाद्यक कायम किये गये:-

1. आया प्रतिवादी ने विवादित आराजी खसरा नम्बराने 31 रकबा 01 बीघा 15 विस्वा एवं खसरा नं. 35 रकवा 09 विस्वा कुल किता 02 कुल रकवा 02 बीघा 04 विस्वा वाके ग्राम सीर दमापुर तहसील व जिला धौलपुर में निहित अपने भाग को विक्रय करने का अनुबन्ध वादी से दिनांक 23.05.2011 को मुवलिग 1,00,000/- रूपये में किया और उक्त अनुबन्ध के पेटे प्रतिवादी से 5,000/- रूपये बतौर अग्रिम प्राप्त किया व शेष 95,000/- रूपये वक्त वयनामा प्राप्त करना तय हुआ?

- वादी

2. आया वादी अपना पार्ट अदा करने हेतु सदैव तैयार व तत्पर रहा है इसलिये वादी प्रतिवादी से उक्त अनुबंध पत्र तारीख 23.05.2011 की पालना करा पाने का अधिकारी है?

-वादी

3. आया उक्त इकरारनामा तारीखी 23.05.2011 वादी ने गवाहन से साज करके व प्रतिवादी को शराव के नषे में डुबोकर फर्जी तौर पर चुपचाप धोखे से व बेईमानीपूर्वक तैयार कराया गया है जो इकरारनामा फर्जी, अवैध, प्रभावहीन एवं शून्य है?

-प्रतिवादी

4. अनुतोष?

10. वाद पत्र सं. 5/13 व 43/13 को समेकित किये जाने के उपरांत प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 06.08.2016 को संयुक्त विवाद्यक निम्न प्रकार कायम किये गयेः-

1. आया प्रतिवादी ने विवादित आराजी खसरा नम्बराने 31 रकबा 01 बीघा 15 विस्वा एवं खसरा नं. 35 रकवा 09 विस्वा कुल किता 02 कुल रकवा 02 बीघा 04 विस्वा वाके ग्राम सीर दमापुर तहसील व जिला धौलपुर में निहित अपने भाग को विक्रय करने का अनुबन्ध वादी से दिनांक 23.05.2011 को मुवलिग 1,00,000/- रूपये में किया और उक्त अनुबन्ध के पेटे प्रतिवादी से 5,000/- रूपये बतौर अग्रिम प्राप्त किया व शेष 95,000/- रूपये वक्त वयनामा प्राप्त करना तय हुआ?

-वादी

2. आया दोनों ही वाइदों के वादीगण अपने-अपने इकरारों की पालना करने के लिए सदैव तैयार व तत्पर रहे हैं?

-वादीगण

3. आया इकरारनामा दिनांक 23.05.2011 वादी नीतू यादव ने गवाहान से साज करके प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह को शराब नषे में डुबोकर फर्जी तौर पर चुपचाप धोखे से व बेईमानीपूर्वक तैयार कराया गया है जो इकरारनामा फर्जी, अवैध, प्रभावहीन एवं शून्य है?

-प्रतिवादी सं.-1

4. आया वाद सं0-43/13 में प्रतिवादी नीतू यादव द्वारा जबावब दावे के चरण सं0 4 व 6 में किये गये अभिवचनों के अनुसार इकरारनामा दिनांक 11.05.2011 फर्जी है?

वाद सं0 43/13 के प्रतिवादी सं02 नीतू यादव

5. अनुतोष?

11. निर्णय के समय प्रकरण में विरचित तनकीयों में कुछ संषोधन किया गया व पूर्व में विरचित तनकीयों को पुनः से निर्णय के समय आज अलग से विरचित किया गया जिन विवाद्यकों पर ही निर्णय किया जायेगा पुनः बनाये गये विवाद्यक निम्न है-

1. आया प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह ने विवादित आराजी खसरा नम्बरान् 31 रकबा 01 बीघा 15 विस्वा एवं खसरा नं. 35 रकवा 09 विस्वा कुल किता 02 कुल रकवा 02 बीघा 04 विस्वा वाके ग्राम सीर दमापुर तहसील व जिला धौलपुर में निहित अपने भाग को विक्रय करने का अनुबन्ध वादीया नीतू यादव से दिनांक 23.05.2011 को मुवलिग 1,00,000/- रूपये में किया और उक्त अनुबन्ध के पेटे प्रतिवादी से 5,000/- रूपये बतौर अग्रिम प्राप्त किया व शेष 95,000/- रूपये वक्त वयनामा प्राप्त करना तय हुआ?

...वादिया नीतू यादव

2. आया प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह ने इसी भूमि का इकरारनामा वादी टीकम सिंह के हक में दिनांक 11.05.2011 को किया?

...वादी टीकम सिंह

3. आया इन दोनों इकरारनामों में से कौन-सा इकरारनामा पालना योग्य है?

...वादिया नीतू यादव व टीकम सिंह

4. आया प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 का वादग्रस्त सम्पत्ति में यदि कोई अधिकार है तथा वे इकरारनामा दिनांकित 23.05.2011 व 11.05.2011 से पाबन्द हैं ?

...वादिया नीतू यादव व टीकम सिंह

5. अनुतोष ?

12. उक्त विवाद्यकों के सम्बन्ध में वादी नीतू यादव की ओर से पी.डब्ल्यू.-1 नीतू यादव, पी.डब्ल्यू.-2 रेनू यादव एवं पी.डब्ल्यू.-3 शिवकिशोर शर्मा के शपथ पत्र पेश करते हुए उनके बयान लेखबद्ध कराए व दस्तावेजीय साक्ष्य में इकरारनामा दिनांकित 23.05.2011 प्रदर्श-1, नोटिस प्रदर्श-2, जबाव नोटिस

प्रदर्श-3, नकल जमाबन्दी प्रदर्श-4, उसके विरूद्ध लक्ष्मण सिंह द्वारा कराई गई एफआईआर प्रदर्श-5, एफ.आर. प्रदर्श-6 प्रदर्शित कराए गए एवं टीकम सिंह की ओर से डी.डब्ल्यू.-1 टीकम सिंह, डी.डब्ल्यू.-2 सुरेन्द्र कुमार, डी.डब्ल्यू.-3 लक्ष्मीनारायण बघेला के शपथ पत्र पेश करते हुए उनके बयान लेखबद्ध कराए। दस्तावेजीय साक्ष्य में इकरारनामा प्र.ए.2, प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह को दिया गया नोटिस प्र. ए.3, प्रेषण रसीद प्र.ए. 4, डाक ए.डी. प्र. ए.5, खाता संख्या 5 संवत 2068-71 वाके ग्राम सीर दमापुर प्र.ए. 6, खाता संख्या 18 संवत 2066-2069 वाके ग्राम सीर दमापुर प्र. ए. 7, स्टाम्प क्रय करने के रजिस्टर की सत्य प्रति प्र. 8/1, मूल रजिस्टर प्र.ए.8, प्रदर्शित करायी गयी।

13. प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह की ओर से साक्ष्य में डी.डब्ल्यू. 4 गायत्री, डी.डब्ल्यू. 5 माधुरी देवी, के बयान लेखबद्ध कराये व दस्तावेजीय साक्ष्य में उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर न्यायालय का प्रकरण सं. 17/13 में पारित निर्णय दिनांक 12.07.16 की प्रमाणित प्रति प्र.एन ए डब्ल्यू 1, डिक्री एन ए डब्ल्यू. 2, नीतू यादव द्वारा आर ए ए भरतपुर कैम्प में अपील संख्या 14/17 पेश की जिसके निर्णय की प्रमाणित प्रति प्र. एन ए डब्ल्यू. 3, राजस्व वाद उनवानी माधुरी देवी/लक्ष्मन सिंह वगैरह में जबाव दावा की प्रति प्र.एन ए डब्ल्यू 4, सार्वजनिक गजट में निकाली सूचना प्र. ए 2, एफ आई आर संख्या 237/13 थाना कोतवाली प्र. ए 5, नीतू द्वारा फर्जकारी से एग्रीमेन्ट कराने की पुलिस अधीक्षक को दी गयी तहरीर दिनांक 28.05.11 प्र.एन ए डब्ल्यू 6, डाक रसीद प्र.एन ए डब्ल्यू 7 नीतू द्वारा फर्जकारी से इकरारनामा कराये जाने बावत अखराब में दी गयी आम सूचना प्र. एन ए डब्ल्यू 8, कलक्टर साहब धौलपुर को भेजी सूचना प्र एन ए डब्ल्यू 9 दस्तावेजात प्रदर्शित कराये गये।

14. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी।

15. बहस के दौरान वादिया नीतू यादव की ओर से विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह ने वादिया नीतू यादव के हक में विवादित आराजी में निहित अपने हिस्से को बेचने बावत इकरार करते हुए उसके संबंध में अग्रिम विक्रय मूल्य प्राप्त कर लिया व वादिया नीतू यादव के बार बार कहने पर भी

उसके हक में इकरारनामा की पालना में विक्रय पत्र पंजीबद्ध नहीं कराया है वादी टीकम सिंह के हक में किया गया इकरारनामा दिनांक 11.05.11 वादिया नीतू यादव के इकरारनामे को निष्प्रभावी बनाने के उददेश्य से फर्जी रूप से तैयार किया गया है क्योंकि वादी टीकम सिंह व प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह आपस में भाई हैं व उक्त इकरारनामा पर जो साईन हैं उसमें राजपूत अलग से लिखकर फर्जीवाडा किया गया है, जो पूर्व की दिनांक का स्टाम्प खरीदते हुए उस पर इबारत लिखी गई है। वादीया नीतू यादव द्वारा जब प्रतिवादी लक्ष्मण को नोटिस दिया गया था, उसके जबाव में कभी कहीं भी उक्त 11.05.2011 के एग्रीमेंट का हवाला नहीं दिया गया है। वादीया नीतू यादव ने अपनी साक्ष्य से इकरारनामा दिनांक 23.05.2011 को साबित किया है, अतः नीतू यादव अपने हक में इकरारनामे की पालना कराने की हकदार है।

16. वादी टीकम सिंह की ओर से बहस के दौरान कथन किया गया कि वादीया नीतू यादव ने प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह से शराब के नशे में फर्जी तरीके से अपने हक में इकरारनामा निष्पादित कराया है, जिसके संबंध में अखबार में भी सूचना निकलवाई गई है एवं पुलिस कार्यवाही की गई है, टीकम सिंह के हक में हुआ इकरानामा दिनांक 11.05.2011 वादीया नीतू यादव के हक में हुए इकरारनामे दिनांक 23.05.2011 से पूर्व का है जिसके अस्तित्व में रहते नीतू यादव के हक में हुआ इकरारनामा स्वतः ही निष्प्रभावी हो जाता है जिसकी पालना कराने का वादीया नीतू यादव को कोई अधिकार नहीं है। चूंकि प्रकरण में लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो चुकी है व लक्ष्मण सिंह का हिस्सा उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 को प्राप्त हुआ है जिनसे वादी टीकम सिंह इकरारनामा दिनांक 11.05.2011 की पालना कराने का अधिकारी है। अतः वादीया नीतू यादव का वाद खारिज किया जावे।

17. प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 की ओर से बहस के दौरान तर्क दिया गया कि विवादित आराजी में प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह का 1/10 हिस्सा निहित न होकर 1/60 हिस्सा था, अतः वादीया नीतू यादव एवं टीकम सिंह द्वारा तथाकथित इकरारनामों में अंकित 1/10 हिस्से को बेचने की कोई संविदा किए

जाने का लक्ष्मण सिंह को अधिकार न होने से तथाकथित इकरारनामें प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 के अधिकारों के मुकाबले शून्य व निष्प्रभावी हैं जिससे वादी टीकम सिंह एवं वादीया नीतू यादव को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं एवं लक्ष्मण सिंह के निधन के पश्चात् प्रतिवादी संख्या-1/1 लगायत 1/5 लक्ष्मण सिंह द्वारा किए गए किसी भी प्रकार के इकरारनामे से बाध्य नहीं है, अतः दोनों वाद पत्र खारिज किए जाने योग्य हैं।

<u>विवाद्यक सं. 1 व 2</u>

18. उक्त दोनो विवायक प्रतिवादी लक्ष्मन सिंह द्वारा वादिया नीतू यादव व वादी टीकम सिंह के हक में इकरारनामा किये जाने के संबंध में हैं जिन्हें साबित करने का भार वादिया नीतू यादव व वादी टीकम सिंह पर रखा गया है इन विवाद्यकों के माध्यम से दोनों वाद पत्र के वादियों को यह साबित करना है कि उनके पक्ष में प्रतिवादी लक्ष्मन सिंह ने विवादित भूमि के संबंध में इकरारनामा निष्पादित किये गये ?

19. इस संबंध में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन किया गया। जहॉ तक प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह द्वारा वादीया नीतू यादव के हक में विवादित आराजी के बेचान का अनुबन्ध पत्र किए जाने का प्रश्न है, तो इस संबंध में वादीया स्वयं नीतू यादव ने अपने वाद पत्र एवं साक्ष्य में कथन किए हैं एवं लक्ष्मन सिंह को रुपयों की आवश्यकता होने के कारण उसके द्वारा विवादित आराजी में अपने हिस्से को बेचान किए जाने की मंशा रखते हुए उसके संबंध में नीतू यादव से एक लाख रूपये में सौदा तय होना, जिसके पेटे पॉच हजार रूपये नीतू यादव से प्राप्त करना, शेष राशि पिच्चानवे हजार रूपये विवादित आराजी के संबंध में नामातंरण होने के पश्चात् वक्त वयनामा छह माह के अन्दर अदा कर विक्रय पत्र नीतू यादव के हक में निष्पादित किया जाना तय होना बताया है व वक्त इकरारनामा गवाहान रेनू यादव और मन्टू का उपस्थित होना बताया है। प्रतिवादी लक्ष्मन द्वारा इकरारनामा की पालना नहीं किया जाना बताया है जिसकी पुष्टि इकरारनामा के गवाह रेनू यादव ने की है एवं इकरारनामा तैयार/ड्राफ्ट करने वाले अधिवक्ता श्री शिव किशोर शर्मा द्वारा अपनी साक्ष्य से की गई है। उक्त

तथ्य के खण्डन में प्रतिवादी लक्ष्मन सिंह द्वारा यह आधार लिया गया है कि उससे उक्त इकरारनामा शराब के नशे में करा लिया है, जिसके संबंध में उनके द्वारा अखबार में भी सूचना निकलवाई गई है जबकि विवादित भूमि के संबंध में स्वयं टीकम सिंह के हक में दिनांक 11.05.2011 को ही लक्ष्मन सिंह द्वारा इकरारनामा निष्पादित किया जा चुका था।

20. टीकम सिंह वादी की ओर से यह कथन व साक्ष्य प्रस्तुत की है कि प्रतिवादी लक्ष्मन सिंह ने नीतू यादव के हक में दिनांक 23.05.2011 को कोई इकरारनामा निष्पादित नहीं किया एवं विवादित भूमि के संबंध में स्वयं टीकम सिंह के हक में दिनांक 11.05.2011 को ही लक्ष्मन सिंह द्वारा इकरारनामा निष्पादित किया जा चुका था।

21. वादीया नीतू यादव के हक में हुआ इकरारनामा प्रदर्श 1 पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसका अवलोकन किया गया, जिसमें प्रतिवादी लक्ष्मन द्वारा अपने हिस्से की आराजी को वादीया नीतू यादव को बेचे जाने के संबंध में दिनांक 23.05.2011 को इकरारनामा निष्पादित किया जाना प्रमाणित होता है। जहाँ तक प्रतिवादी लक्ष्मन की ओर से लिया गया यह आधार कि उक्त इकरारनामा प्रतिवादी लक्ष्मन को शराब के नशे में डुबोकर निष्पादित कराया गया है, इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन करने पर पत्रावली में वादीया नीतू यादव द्वारा इकरारनामा की पालना हेतु प्रतिवादी लक्ष्मन को जो नोटिस प्रदर्श-2 दिया गया है, उसका जबाव प्रतिवादी लक्ष्मन सिंह के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 21.12.2012 को वादीया नीतू यादव के अधिवक्ता को दिया गया है। उक्त जबाव नोटिस में ऐसा कोई अंकन नहीं है कि प्रतिवादी लक्ष्मन को शराब के नशे में डुबाकर नीतू यादव द्वारा इकरारनामा निष्पादित कराया गया हो। अतः इस संबंध में प्रतिवादी पक्ष लिया गया यह आधार कि उसे शराब के नशे में डुबाकर इकरारनामा तहरीर कराया है, असत्य हो जाता है क्योंकि यदि ऐसा होता तो इस तथ्य का अंकन जबाव नोटिस में अवश्य किया जाता। अतः ऐसी स्थिति में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री से यह तथ्य भलीभांति साबित है कि लक्ष्मन सिंह ने विवादित आराजी में निहित अपने हिस्से के बेचान के संबंध में नीतू

यादव के हक में इकरारनामा दिनांक 23.05.2011 को निष्पादित करते हुए उसके पेटे पॉच हजार रूपये नीतू यादव से प्राप्त किए। अतः विवाद्यक संख्या 1 वादीया नीतू यादव के हक में निर्णित किया जाता है।

22. जहॉं तक इसी भूमि का प्रतिवादी लक्ष्मन द्वारा वादी टीकम सिंह के हक में इकरारनामा दिनांकित 11.05.2011 निष्पादित किए जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में वादी टीकम सिंह द्वारा अपना वाद पत्र प्रस्तुत करते हुए उसके संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत की गई है एवं प्रतिवादी लक्ष्मन सिंह की ओर से जब वादीया नीतू यादव द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का जबाव दावा पेश किया गया तो उसमें भी प्रतिवादी लक्ष्मन सिंह ने वादी टीकम सिंह के हक में इकरारनामा निष्पादित किए जाना स्वीकार किया है।

23. वादीया नीतू यादव द्वारा वादी टीकम सिंह के हक में हुए इकरारनामा को इस आधार पर कूटरचित बताया है कि वादी टीकम सिंह व प्रतिवादी लक्ष्मण्न सिंह आपस में भाई हैं व उनके द्वारा आपस में साज करते हुए वादिया नीतू यादव के हक में हुए इकरारनामे को निष्प्रभावी बनाने के उददेश्य से उक्त इकरारनामा पूर्व दिनांक के स्टाम्प को क्रय करते हुए निष्पादित कराया गया है इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली पर वादी टिकम सिंह की ओर से प्रस्तुत स्टांप रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श ए 8/1 उपलब्ध है, जिसमें दिनांक 11.05.2011 को क्रम संख्या 870 पर लक्ष्मण सिंह पुत्र दयाल सिंह के नाम से इकरारनामा हेतु स्टांप क्रय किए जाने का अंकन हो रहा है। अतः यह नहीं माना जा सकता कि उक्त स्टांप बैक डेट में क्रय करते हुए उस पर इकरारनामे की इबारत लिखी गई है। यदि उक्त इकरारनामा के संबंध में खरीदे स्टांप पर लक्ष्मण सिंह राजपूत के नाम से फर्जी हस्ताक्षर कर रखे हो तो इस संबंध में कोई कानूनी कार्यवाही किया जाना पत्रावली पर प्रमाणित नहीं किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त क्रय किए गए स्टांप के रजिस्टर व इकरारनामा दिनांकित 11.05.2011 पर लक्ष्मण सिंह के फर्जी हस्ताक्षर होना नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त टीकम सिंह की ओर अपनी साक्ष्य में उसके हक में लक्ष्मण सिंह द्वारा इकरारनामा लिखा जाना प्रमाणित किया है, जिसकी

पुष्टि इकरारनामे के गवाह डी.ड.2 सुरेन्द्र कुमार ने भी की है एवं इकरारनामा ड्राफ्ट करने वाले अधिवक्ता डी.ड.3 लक्ष्मी नारायण बघेला द्वारा भी अपनी साक्ष्य से की गई है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी लक्ष्मण द्वारा टीकम सिंह के हक में विवादित भूमि में अपने हिस्से की भूमि को 1,20,000/- रूपए में बेचान के संबंध में इकरारनामा लिखा जाना, जिसके पेटे 20,000/- रूपए इकरारनामा लिखे जाने की दिनांक 11.05.2011 को ही प्राप्त करना प्रमाणित होता है। अतः विवाद्यक संख्या 2 टीकम सिंह के हक में निर्णीत किया जाता है।

<u>विवाद्यक संख्या 3</u>

24. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादिया नीतू यादव व टीकम सिंह पर है । विवाद्यक संख्या 1 व 2 विवेचनानुसार चूंकि वादिया नीतू यादव के हक में लक्ष्मण सिंह द्वारा किया गया इकरारनामा दिनांकित 23.05.2011 एवं वादी टीकम सिंह के हक में किया गया इकरारनामा दिनांक 11.05.2011 साबित पाए गए हैं । चूंकि वादी टीकम सिंह के हक में इकरारनामा दिनांक 11.05.2011 को किया गया है एवं जो इकरारनामा वादिया नीतू यादव के हक में किए गए इकरारनामा दिनांकित 23.05.2011 से पूर्व में ही निष्पादित किया गया है व उक्त इकरारनामा दिनांकित 11.05.2011 निरस्त नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया इकरारनामा दिनांकित 11.05.2011 जो कि प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह द्वारा वादी टीकम सिंह के हक में किया गया है, वह पालना योग्य पाया जाता है।

25. इसके अतिरिक्त यह भी स्वीकृत स्थिति है कि वादिया नीतू यादव के हक में भी इकरारनामा निष्पादित किया जाना प्रमाणित पाया गया है, चूंकि विधिनुसार पूर्व में किए गए इकरारनामा ही पालना योग्य है, ऐसी स्थिति में वादिया नीतू यादव के हक में किया गया इकरारनामा की एवज में वादिया नीतू यादव इकरारनामे के पेटे दी गई राशि 5000/- रुपए को प्राप्त करने की अधिकारिणी है ।

26. अतः उपरोक्त विवेचनानुसार विवाद्यक संख्या 3 वादी टीकम सिंह के हक में निर्णित किया जाता है ।

विवाद्यक संख्या 4

27. आया प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 का वादग्रस्त सम्पत्ति में यदि कोई अधिकार है तथा वे इकरारनामा दिनांकित 23.05.2011 व 11.05.2011 से पाबन्द हैं ?

28. उक्त विवाद्यक को साबित करने का भार वादी पक्ष पर रखा गया है। वादीपक्ष की ओर से उक्त विवाद्यक के संबंध में बहस के दौरान तर्क दिया गया कि प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 प्रतिवादी लक्ष्मण के विधिक वारिसान है व उन्हें उक्त संपत्ति विरासतन प्राप्त हुई है, अतः लक्ष्मण सिंह द्वारा किए गए इकरारनामे से उसके वारिसान पाबंद है । इसके विपरीत अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/5 की ओर से बहस के दौरान तर्क दिया गया कि उक्त संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति है, जिसमें प्रत्येक प्रतिवादी का 5/60 हिस्सा है व लक्ष्मण सिंह को सिर्फ 1/60 बेचने का अधिकार था । अतः ऐसी स्थिति में लक्ष्मण सिंह द्वारा किए गए इकरारनामे से पाबंद नहीं है ।

29. सुना गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया । चूंकि उक्त संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति होना पाया गया है, जिसमें प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह का 1/10 हिस्सा जमाबंदी प्रदर्श ए1 से प्रकट हुआ है । जहां तक प्रतिवादी सं.1/1 लगायत 1/5 का यह कथन कि उक्त संपत्ति में प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह का 1/60 हिस्सा था, उक्त तथ्य पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबंदी प्रदर्श ए1 से प्रमाणित नहीं होता है। चूंकि उक्त संपत्ति पुश्तैनी संपत्ति है व उक्त संपत्ति प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह के पिता दयाल सिंह को प्राप्त होने पर एवं प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह आपस में 9 भाई होने के कारण प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह को उक्त संपत्ति में 1/10 हिस्सा प्राप्त होने के कारण हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उक्त 1/10 हिस्से की संपत्ति प्रतिवादी लक्ष्मण सिंह की स्वअर्जित संपत्ति हो गयी, जिसे बेचान के संबंध में लक्ष्मण सिंह को पूर्ण अधिकार थे, यदि प्रतिवादी लक्ष्मन सिंह की मृत्यु उक्त संपत्ति के बेचान के संबंध में इकरारनामा निष्पादित करने से पूर्व हो जाती तो ही प्रतिवादी सं० 1/1 लगायत 1/5 सम्पूर्ण संपत्ति में विधिवत हिस्सेदार माने जा सकते थे । चूंकि लक्ष्मण सिंह द्वारा अपने जीवन काल में ही उक्त संपत्ति के

बेचान के संबंध में इकरारनामा निष्पादित किया जा चुका था, ऐसी स्थिति में लक्ष्मण सिंह को को 1/10 हिस्सा प्राप्त हुआ था, वह उसकी स्वअर्जित संपत्ति थी, जिसमें उसके वारिसान को लक्ष्मण सिंह के जीवित रहते कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे, यदि लक्ष्मण सिंह के द्वारा अपने 1/10 हिस्से का इकरारनामा अपने जीवन काल में नहीं किया जाता व लक्ष्मण सिंह की मृत्यु हो जाती तो ही लक्ष्मण सिंह के वारिसान का उस संपत्ति में हिस्सा होता । जिस समय इकरारनामा किया गया था, उस समय यह संपत्ति लक्ष्मण सिंह की स्वअर्जित संपत्ति थी, इसलिए उक्त संपत्ति में लक्ष्मण सिंह के वारिसान को कोई अधिकार नहीं मिलता व लक्ष्मण सिंह के वारिसान टीकम सिंह के हक में हुए इकरारनामा दिनांक 11/05/2011 से पाबन्द हैं व वादी टीकम सिंह लक्ष्मन सिंह के उत्तराधिकारियों से संविदा की पालना की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है । अतः विवाद्यक संख्या 4 वादी टीकम सिंह के हक में निर्णीत किया जाता है ।

अनुतोषः-

30. चूंकि प्रकरण में वादी टीकम सिंह व वादिया नीतू यादव के हक में हुए इकरारनामे साबित पाए गए हैं चूंकि वादी टीकम सिंह के हक में किया गया इकरारनामा दिनांक 11/05/2011 वादिया नीतू यादव के पक्ष में हुए इकरारनामे दिनांक 23/05/2011 से पूर्व का है, ऐसी स्थिति में वादी टीकम सिंह संविदा की पालना के संबंध में व वादिया नीतू यादव संविदा पेटे अदा की गयी अग्रिम धनराशि प्राप्त करने की अधिकारी है ।

- आदेश -

31. परिणामस्वरूप वादी टीकम सिंह द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत संविदा की यथावत पालना स्वीकार करते हुए प्रतिवादी संख्या 1/1 लगायत 1/5 को आदेश दिया जाता है कि वे वादी टीकम सिंह के हक में इकरारनामा दिनांक 11.05.2011 की पालना में इकरारनामे में वर्णित संपत्ति का विक्रय पत्र दो माह की अवधि में निष्पादित करावे अन्यथा वादी टीकम सिंह न्यायालय के

माध्यम से अपने हक में इकरारनामा दिनांक 11.05.2011 की पालना में विक्रय पत्र निष्पादित कराने का अधिकारी होगा ।

32. प्रतिवादी सं. 1/1 लगायत 1/5 को आदेश दिया जाता है कि वादिया नीतू यादव को उसके हक में हुए इकरारनामे की एवज में नीतू यादव द्वारा अदा की गई अग्रिम धनराशि 5000/- रुपए मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित निर्णय दिनांक से दो माह के अंदर अदा करे व वादिया नीतू यादव द्वारा संविदा की यथावत पालना के संबंध में प्रस्तुत वाद पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है ।

33. खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करे। नियमानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिव किया जाये।

(संजीव मागो)
जिला न्यायाधीश, धौलपुर

34. यह निर्णय व आदेश आज दिनांक 06.08.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित कर सुनाया गया।

(संजीव मागो)
जिला न्यायाधीश, धौलपुर

MANOJ VERMA
"Authenticated Document" Steno Gr.I
Digitally signed by MANOJ VERMA
Date: 2026.08.10 16:52:14 +0530